न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

सियाराम गुर्जर पुत्र हज्ञान आयु 56 साल जाति गुर्जर निवासी बाबू का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा तहसील मासलपुर जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी आदेश दिनांक 25.02.2019 क्रमांक रसद/अभियोजन/2018–19/1162 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा तहसील मासलपुर का हंसराज गुर्जर के हक में जारी किया गया प्राधिकार पत्र निरस्त किया है तहत धारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश1976 के तहत

निर्णय

दिनांक 26.08.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत जिला रसद करौली के निर्णय दिनांक 25.02.2019 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रात्रि चौपाल में उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जमूरा की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 12.07.2018 को जांच करने पर पाई गई अनियमिततओं–उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना, बार–बार चक्कर लगवाना, उसके बाद कुछ उपभोक्ताओं को राशन देना व कुछ को राशन नहीं देना, उपभोक्ताओं से उचित व्यवहार नहीं होना, आदि की रिपोर्ट किये जाने एवं अनियमिततओं के प्रमाणित पाये जाने पर आदेश दिनांक 25.02.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन डीलर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 25.02.2019 पूर्णतया विधि विरूद्ध, आरवेट्रेरी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं रिकार्ड के विपरीत है और अपास्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा तकनीकी आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है कोई सुनवाई का नोटिस व समुचित अवसर अपीलाण्ट को नही दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई ऐसी अवैधता नहीं की गयी है जिससे प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सके। अपीलाण्ट के समक्ष दिनांक 12.07.2018 के दिवस प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कोई जांच नही की गयी है। किसी भी अपभोक्ता के द्वारा रसद सामग्री के लिए बार–बार चक्कर नहीं लगाये गये है। किसी भी उपभोक्ता को राशन देने से इन्कार नही किया है। किसी भी राशनकार्डधारी उपभोक्ता ने अपीलाण्ट की शिकायत नहीं की है कि अपीलाण्ट ने उसको राशन सामग्री नही दी है। ऐसे किसी उपभोक्ता को अपीलाण्ट के समक्ष प्रवर्तन निरीक्षक ने या अन्य अधिकारियो ने जांच में प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा अपीलाण्ट को भी ऐसा कोई नोटिस नही दिया है कि अमुक राशनकार्डधारी को अपीलाण्ट ने राशन सामग्री नही दी है। फिर भी अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ अधिकारी ने कानूनी भूल की है। वेग एवं निराधार कारण व आधार बताते हुये अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र

जिला कलक्टर
करौली

निरस्त किया है जो आदेश दिनांक 25.02.2019 से ही स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा कोई अवैधता कारित नही की है। अपीलाण्ट ग्रामीण क्षेत्र का प्राधिकार पत्र धारी उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया है एवं किसी कानूनी प्रावधान का कोई उल्लंघन नही किया है। अपीलाण्ट को प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कोई नोटिस व अवसर नही दिया गया है और अपीलाण्ट को जो आदेश दिनांक 25.02.2019 जारी किया है उसमें भी कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी करना नही बताया है। बचाव का कोई समुचित अवसर नही दिया है। आदेश देखते ही स्पष्ट करता है कि मनमाने तौर पर जारी किया गया आदेश है। कोई जांच रिपोर्ट अपीलाण्ट को नही दी गई है ना ही किसी गवाह से जांच अधिकारी से शिकायतकर्ता से जिरह करने का अवसर प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 25.02.2019 मनमाना और विधि विरूद्ध है, अपास्त किये जाने योग्य है। आदेश में दिनांक 12.07.2018 की जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक करौली की बतायी है और जारी नोटिस दिनांक 23.07.2018 में 15.07.2018 की बतायी गयी है और किसी भी दिवस की जांच रिपोर्ट अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है। ऐसा कोई भी उपभोक्ता नही है जिसमें पोश मशीन पर अंगूठा लगाया है और राशन सामग्री नहीं दी हो एवं अपीलाण्ट ने उचित व्यवहार नही रखा हो। किसी उपभोक्ता का नाम नोटिस दिनांक 23.07.2018 एवं आदेश दिनांक 25.02.2019 में दर्शित नही करना अपने आप में आदेश दिनांक 25.02.2019 को अवैध होना, रिकार्ड के अनुसार नही होना, मनमाना आदेश होना स्पष्ट करता है। ऐसा आदेश विधि सम्वत नही होने से अपास्त होने योग्य है। अंत में अपील, अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2019 को अपास्त किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि रात्रि चौपाल में अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 12.07.2018 को अपीलार्थी के क्षेत्र में आने वाले गावों में जाकर उपभोक्ताओं के बयान लिये गये जिसमें मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि

लगभग $2^{1/2}$ माह पहले राशन डीलर द्वारा घर–घर आकर पोस मशीन पर अंगूठे लगवा लिये एवं कहा कि 1–2 दिन में राशन सामग्री का वितरण का आश्वासन देकर चला गया एवं आज दिनांक राशन नहीं दिया है। माह जून 2018 का भी राशन नहीं दिया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा राशन सामग्री की रसीद नहीं देना एवं उ.मू. दुकानदार के व्यवहार से भी असंतुष्टि जाहिर की। इसके बाद दुकान की जांच हेतु राशन डीलर की दुकान पर पहुंचे जहां दुकान बंद पायी गईं। राशन डीलर के मोबाइल पर संपर्क करने पर राशन डीलर द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया जिससे दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार भी राशन डीलर द्वारा माह जून व जुलाई 2018 में वितरण नहीं किया गया है जिससे उपभोक्ता सार्वजनिक प्रणाली के तहत मिलने वाली राशन सामग्री से वंचित हैं। दिनांक 23.07.2018 तक अपीलार्थी के पास 74.56 क्विं. गेंहूं, 520.450 किलोग्राम चीनी एवं 2874 लीटर केरोसीन होना चाहिए था जिसमें से 74.56 क्विं. गेंहूं अपीलार्थी द्वारा अटैच डीलर को सुपुर्द कर दिया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी की रात्रि चौपाल में शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी के क्षेत्र में आने वाले गावों में जाकर उपभोक्ताओं से जानकारी/जांच की गई एवं दुकान पर जांच हेतु पहुंचने पर दुकान बंद पायी गई एवं डीलर के मोबाइल पर संपर्क करने पर डीलर द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। जांच उपरांत अपीलार्थी का राशन अनुज्ञापत्र निलंबित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर दिया जाकर

जिला कलक्टर
करौली

अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा माह मई 2018 में ही घर–घर जाकर पोस मशीन पर अंगूठे लगवा लेना एवं राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, शिकायत होने के बावजूद राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार माह जून 18 व जुलाई 18 का राशन वितरित नहीं करना, उपभोक्ताओं से उचित व्यवहार नहीं करना आदि गंभीर अनियमितताऐं हैं एवं राशन वितरण में पूर्ण रूप से मनमानी किये जाने की श्रेणी में आता है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली राशन सामग्री से भी उपभोक्तओं को वंचित रहना पड़ता है। शिकायत के उपरांत भी माह मई 2018 का राशन वितरण नहीं करना, अपीलार्थी के द्वारा माह मई 2018 की राशन सामग्री का दुरूपयोग करने की मंशा को जाहिर करता है। यह गंभीर अनियमितता है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खाारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2019 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी राशन डीलर के पास दिनांक 23.07.2018 को शेष स्टॉक 520.450 किलोग्राम चीनी एवं 2874 लीटर केरोसीन की नियमानुसार वसूली की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली